

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या-जी.आई.-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम पड़े तो शेष बांँधित धनराशि कोषानुसार नियम-27 के अन्तर्गत आवंटित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक देश में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषानुसार नियम-27 से आहरित धनराशि के समायोजन तथा धनावंटन प्रस्ताव शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषानुसार नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल देवी आपदाओं

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत खर्चाधिक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजन-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में देवी आपदा राहत कार्यों हेतु श्री राज्यपाल महोदय को रु० 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र) प्रति जनपद की दर से कुल धनराशि रुपये रु० 8,40,00,000/- (रुपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र) अग्रिम रूप से आपके निर्दान पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

महोदय,

विषय-वित्तीय वर्ष 2008-09 में देवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2008

जिलाधिकारी,
बस्ती, गण्डा, बाराबंकी, मऊ, देवरिया, फैजाबाद, सीतापुर, सतकबीर नगर,
व्यातिवाकुलनगर, शाहजहांपुर, बरेली, संतरविदास नगर, गाजीपुर,
बाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, कन्नौज, बाँदा, जौनपुर, एटा एवं उन्नाव।

सेवा में,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रक,

संख्या-3659/1-10-2008-12(73)/2008टी०सी०-2

जैसे-अग्निकाण्ड, ओंघी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा-फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815/1-10-2007-14(45)/2003, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 1000/- से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों का धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप

आज्ञा से,
(जीओ को टूटने)
राहत आर्युक्त एवं संचित।

8. गाई फाईल।
- अनुभाग-6/11/राहत बेवसाइट की उपयोग हेतु।
7. वरिष्ठ विल एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व
6. विल व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आर्युक्त एवं संचित, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
2. सम्बन्धित मण्डलाध्यक्ष।
1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-
संख्या-3659(1)/1-10-2008-12(73)/2008टी०सी०-2, तदतिनांक

भबदीय,
(जीओ को टूटने)
राहत आर्युक्त एवं संचित।

- सत्यापित करार शासन को संचित किया जाय।
11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मर्तों में पुस्तिकान कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं हस्ताक्षरित किया जाय।
10. देवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा
- को पुरान्त उपलब्ध कराया जाय।
9. पूरा धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रा. संख्या-42 आई में शासन
- हैप वित्तीय दफ्तर के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।
- पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त निधि तक इसे राहत आर्युक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना संचित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें समाहित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य संचित करते